पंजाब केसरी 19/09/2023

विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न के बारे में किया जागरूक

अम्बाला, 18 सितम्बर (ब्यूरो): कैंट के जी.एम.एन. कॉलेज में प्राचार्य डा. रोहित दत्त के दिशा-निर्देशानुसार एवं डा. रचना खन्ना की अध्यक्षता में कानूनी साक्षरता सैल की ओर से यौन उत्पीड़न और इसके खिलाफ उपाय पर एक विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडवोकेट गुरमीत कौर कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थीं। उन्होंने विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूक किया।

उन्होंने बताया कि यह लिंग के आधार पर एक प्रकार का भेदभाव है। जब किसी का स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और अन्य संस्थानों में यौन उत्पीड़न किया जाता है तो यह

कार्यक्रम के दौरान मौजूद शिक्षक।

उनकी व्यक्तिगत गरिमा और सुरक्षा की भावना को कमजोर कर सकता है, उनकी शिक्षा को बाधित कर सकता है और जीवन में उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने की इच्छा को बाधित कर सकता है।

यदि अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न हिंसक व्यवहार में बदल सकता है। डा. रचना खन्ना ने यौन उत्पीड़न के कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें चिंता, अवसाद, बाधित नींद, भूख न लगना, नियमित गतिविधियों में रुचि की कमी, सामाजिक अलगाव व भावनाएं शामिल हो सकती हैं।

कुछ छात्र इससे निपटने के लिए नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग कर सकते हैं। चरम मामलों में आत्महत्या के बारे में सोच सकते हैं या प्रयास भी कर सकते हैं।

संयोजक डा. सुरेंद्र सिंह कुंडू ने कहा कि शिक्षक स्पष्ट, व्यापक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति अपनाकर यौन उत्पीड़न के कई मामलों को रोक सकते हैं। इस मौके पर डा. सरोज बाला, डा. नीना एवं डा. मीनू राठी, जस्मिता हांडा उपस्थित रहीं। इस गतिविधि में लगभग 70 विद्यार्थियों ने भाग लिया।